UPBJ010054272021

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–1, बिजनौर।
सत्र परीक्षण सं0– 981/2021

सरकार बनाम मनोज कुमार आदि
मुकदमा अपराध सं0 97/2021
धारा 302 भा0दं0सं0
थाना कोतवाली शहर, जिला बिजनौर।

दिनांक 24–05–2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर अभियुक्तगण मनोज व सुनील उपस्थित हैं। पत्रावली वास्ते सुनवाई/शेष जिरह पी0डब्लू0–2 नियत है। साक्षी पी0डब्लू0–2 छत्रपाल उपस्थित है। अभियुक्त मनोज की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र कागज सं0 ख–36 व अभियुक्त सुनील की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र कागज सं0 ख–40 पर सुना गया।

निस्तारण प्रार्थनापत्र कागज सं0 ख–36 व ख–40

अभियुक्त मनोज की ओर से प्रार्थनापत्र कागज सं0 ख–36 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत सत्र परीक्षण में मनोज अभियुक्त है। प्रार्थी व साक्षी पी0डब्लू0–2 से प्रस्तुत वाद के तथ्यों से सम्बन्धित हुई वार्तालाप की कम्पैक्ट डिस्क (सी0डी0) प्रार्थी प्रस्तुत कर रहा है। उसे पत्रावली पर लेकर डिस्क को चलाकर साक्षी पी0डब्लू0–2 से जिरह की अनुमति दी जाय।

अभियुक्त सुनील की ओर से प्रार्थनापत्र कागज सं0 ख–40 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत वाद में पी0डब्लू0–2 छत्रपाल गवाह से जिरह में एक फोन रिकॉडिंग पैनड्राइव में है, जिसके बारे में अभियुक्त सुनील की ओर से गवाह से प्रश्न पूछने है। अतः पैनड्राइव को पत्रावली पर लेकर गवाह को पैनड्राइव सुनाकर प्रश्न पूछे जाने की अनुमति की याचना की गयी है।

अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से आपत्ति कागज सं0 ख–38 प्रस्तुत की गयी है। तर्क दिया गया है कि गवाह पी0डब्लू0–2 छत्रपाल उपस्थित है। अभियुक्त की ओर से कम्पैक्ट डिस्क (सी.डी.) साक्ष्य के रूप में दाखिल करने का कोई प्रावधान नहीं है, न ही पैनड्राइव इस स्तर पर लेने का प्रावधान है। प्रार्थनापत्र के साथ धारा 65बी साक्ष्य अधिनियम का कोई सर्टिफिकेट भी दाखिल नहीं है, जबकि इलैक्ट्रॉनिक साक्ष्य के लिये यह आवश्यक है। अभियुक्तगण द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत करना है, उसे साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु डिफेन्स में साक्ष्य का अवसर प्राप्त होगा। मात्र मामले को विलम्बित करने के लिये तथा साक्ष्य को टालने के लिए अभियुक्तगण की ओर से अभियोजन साक्ष्य के स्तर पर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

Digitally signed by RAM AUTAR YADAV
Date: 2024.05.27 10:21:05 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध दिनांक 10–12–2021 को आरोप विरचित किया गया है। पत्रावली अभियोजन साक्ष्य में नियत होकर साक्षी पी0डब्लू0–1 वादी मुकदमा हिमांशु सैनी का बयान अंकित किया जा चुका है। साक्षी पी0डब्लू0–2 छत्रपाल का बयान दिनांक 21–03–2024 को अंकित किया गया। साक्षी पी0डब्लू0–2 से अभियुक्त मनोज की ओर से दिनांक 21–03–2024 को आशिंक जिरह की गयी तथा उसी स्तर पर प्रार्थनापत्र कागज सं0 ख–36 कम्पैक्ट डिस्क (सी.डी.) पत्रावली पर लिये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया तथा साक्ष्य की कार्यवाही स्थगित की गयी। प्रार्थनापत्र के निस्तारण हेतु पत्रावली नियत की गयी। अभियोजन की ओर से आपत्ति कागज सं0 ख–38 प्रस्तुत की गयी। आज अभियुक्त सुनील की ओर से भी प्रार्थनापत्र कागज सं0 ख–40 पैनड्राइव पत्रावली पर लिया जाकर उसे चलाकर साक्षी से जिरह करने की अनुमति दिये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। चूंकि पत्रावली अभियोजन साक्ष्य में नियत है और साक्षी पी0डब्लू0–2 का बयान आंशिक रूप से अंकित किया गया है। अर्थात् इस समय पत्रावली अभियोजन साक्ष्य में है। अभियुक्तगण की ओर से जिरह में कम्पैक्ट डिस्क (सी.डी.) व पैनड्राइव किस प्रोसेस में कैसे तैयार की गयी, किसके द्वारा तैयार की गयी, इसके बाबत धारा 65बी साक्ष्य अधिनियम का कोई सर्टिफिकेट भी नहीं है। इससे भी महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस स्तर पर जबकि पत्रावली अभियोजन साक्ष्य में नियत है और साक्षी पी0डब्लू0–2 उपस्थित है। इस स्तर पर अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र कागज सं0 ख–36 व ख–40 पत्रावली पर लेने एवं कम्पैक्ट डिस्क (सी.डी.) व पैनड्राइव चलाकर अभियुक्त से जिरह किये जाने की अनुमति दिये जाने का कोई औचित्य व आधार नहीं है। अभियुक्तगण को सफाई साक्ष्य में अवसर प्राप्त होगा। मामला **हत्या** जैसे गम्भीर अपराध से सम्बन्धित है। ऐसा प्रतीत होता है कि मामले में साक्ष्य की कार्यवाही को टालने एवं विलम्बित करने के आशय से अभियुक्तगण द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः मामले के तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र कागज सं0 ख–36 व ख–40 स्वीकार किये जाने योग्य नहीं हैं।

अतः उपरोक्तानुसार अभियुक्त मनोज की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र कागज सं0 ख–36 एवं अभियुक्त सुनील की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र कागज सं0 ख–40 निरस्त किये जाते हैं। तद्नुसार आपत्ति निस्तारित की जाती है।

दिनाँक 24–05–2024

(राम अवतार यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–1,
बिजनौर।
JO Code UP06041

प्रार्थनापत्र कागज सं0 ख–41

एक अन्य प्रार्थनापत्र आज अभियोजन की ओर से साक्षी छत्रपाल द्वारा भी प्रस्तुत किया गया है, जो इस आशय का है कि साक्षी पी0डब्लू0–2 छत्रपाल की मुख्य परीक्षा हो चुकी है तथा उसकी जिरह शेष है। अभियुक्त मनोज व उसकी पत्नी

विनीता ने उसे धमकी दी है कि यदि उनके खिलाफ गवाही दी तो जान से मार देंगे, गाली–गलौच भी किया। शोर पर गवाहान नितिन व रेखा सैनी भी आ गये। उसे जान का खतरा बना हुआ है। ये लोग गवाही न देने के लिए प्रलोभन भी दे रहे हैं। इन लोगों ने उसके विरुद्ध अमरोहा में धारा 452, 376डी, 506 भा0दं0सं0 का मुकदमा भी लिखाया है, जो विचाराधीन है, अतः कानूनी कार्यवाही की जाय। प्रार्थनापत्र पर आदेश हुआ कि ''आवेदक ने अभियुक्तगण द्वारा गाली–गलौच व धमकी देने का कथन किया है। प्रार्थी उक्त प्रार्थनापत्र समुचित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर कार्यवाही का अनुरोध कर सकता है। तद्नुसार प्रार्थनापत्र निस्तारित किया जाता है।'' अतः साक्षी का प्रार्थनापत्र भी निस्तारित किया गया।

पत्रावली वास्ते जिरह पी0डब्लू0–2 छत्रपाल, दिनांक 29–05–2024 को पेश हो। साक्षी जरिये समन तलब हो।

दिनाँक 24–05–2024

(राम अवतार यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–1,
बिजनौर।
JO Code UP06041